कुल्लू गोंद का सतत् विदोहन, प्राथमिक प्रसंस्करण, श्रेणीकरण एवं विपणन

प्रस्तावना

कुल्लू इसटरकुलेसी कुल का सदस्य है। ये बाहरी हिमालय, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश दक्षिण कोकण, एवं उत्तर कोनारा मे पाया जाता है। मध्यप्रदेश मे यह सूखे पतझड़ वाले वनो मे पाया जाता है।

यह एक मध्यम आकार का वृक्ष है, जिसका तना सफेद एवं लाल भूरे रंग का होता है तथा लंबाई 15 मी. तक होती है। इसकी छाल मोटी, सफेद ,लाल, मुलायम और चमकीली होती है।

यह औद्योगिक रुप से महत्वपूर्ण प्रजाति है। कराया गोंद सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली गोंदो मे से एक है। कराया या कुल्लू मध्यप्रदेश की प्रमुख गोंद प्रजाति है।

वर्तमान मे कुल्लू का विदोहन अधिक मात्रा में होने एवं, अनियंत्रित आकार एव अधिक गहराई के खांचे बनाने के कारण पेडो की क्षति हो रही है।

परम्परागत विदोहन

कुल्लू वृक्ष में खाँचा लगाने के 24 घटे बाद से गोंद निकलने लगता है, पहले खाचे के ऊपर दूसरे दिन नए खाचे बनाए जाते ह और प्रतिदिन गोंद निकालते है। किन्तु, पेड़ों में दो से ज्यादा खाँचे नहीं बनाये तथा उनके अनियंत्रित आकार एव अधिक गहराई के कारण पेडों का विनाश हो रहा है।

गर्मी में सबसे अधिक गोंद निकलता है। सबसे अच्छा गोंद जनवरी से जून माह की अवधि मे मिलता ह । बरसात के मासम मे गोंद नही निकाला जाता है।

उपयोग

कुल्लू गोंद का प्रयोग खाद्य पदार्थों, औषधियों आदि में किया जाता है। मिठाई, आइसकीम, सॉस, चीस स्पेरड़ टेबलेट जोड़ने, टूथपेस्ट बनाने मे एवं श्रृगार सामग्री बनाने में भी इसका उपयोग होता है।

विदोहन की आधुनिक विधि

1. 90 से.मी. और उससे ज्यादा मोटाई वाले कुल्लू वृक्षों का चयन करना चाहिये।
2. पेंड़ के जिस भाग से गोंद निकालना है उस जगह को कपड़े से साफ करना चाहिए ।

3. कुकरी/हसियां की मदद से तने पर अर्धचंद्राकार खांचा बनाया जाता है जिसकी चौडाई 3 से.मी. होनी चाहिए और गहराई पेड़ की छाल की मोटाई के बराबर होनी चाहिए ।
4. खांचा बनाने के बाद पेड़ को दो सप्ताह के लिए छोड़ देना चाहिए ।
5. इसके बाद खांचे के ऊपर की ओर कुकरी की सहायता से छाल को छीलकर 1/2 से. मी. का घाव बनाया जाता है ।

6. खांचे के अंदर और बाहर का भाग साफ करें, और पॉलीथीन शीट को खांचे के नीचे कांटों की मदद से लगा देते है। इसे 48 घंटों के लिए छोड़ देते है।
7. तीसरे दिन जाकर गोंद को बास की टोकनी मे एकत्र करें । खांचे के ऊपर की ओर पुन: लगभग 1/2 से.मी. छील दिया जाता है। इसी प्रकार यह प्रकिया चलती रहती है ।
8. नया खाँचा पहले खांचे के दूसरी तरफ लगायें ।

सावधानियाँ

- समी वृक्षों से गोंद न निकालें।
- शाखाओं में बंध नहीं लगाना चाहिए।
- एक वृक्ष मे दो से ज्यादा खाँचें नहीं बनाना चाहिये ।
- खाँचे की गहराई छाल की मोटाई के बराबर होनी चाहिये।

प्रसंस्करण विधि

कुल्लू गोंद को बांस की टोकनी में रखकर धूप में सुखाते है। गोद को सूखने में 5 से 15 दिनों का समय लग सकता है जो कि उसमें उपस्थित नमी की मात्रा पर निर्भर करता है। एकत्रित गोंद को सुखाकर अवांछित पदार्थ (रेत, मिट्टी, छाल इत्यादि) दूर कर लकड़ी की पीटनी से एक समान आकार में तोड़कर श्रेणियां बनाई जाती है।

श्रेणीकरण

गोंद में से अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, पत्थर, छाल आदि को निकाल लिया जाता है एवं साफ गोंद का रंगों के आधार पर भिन्न श्रेणियां बना ली जाती है।

कुल्लू गोंद की विभिन्न श्रेणियाँ

श्रेणियाँ	रंग
ग्रेड- 1	सफेद, हल्का पीला
ग्रेड- 2	लाल, हल्का पीला
ग्रेड- 3	भूरा, काला

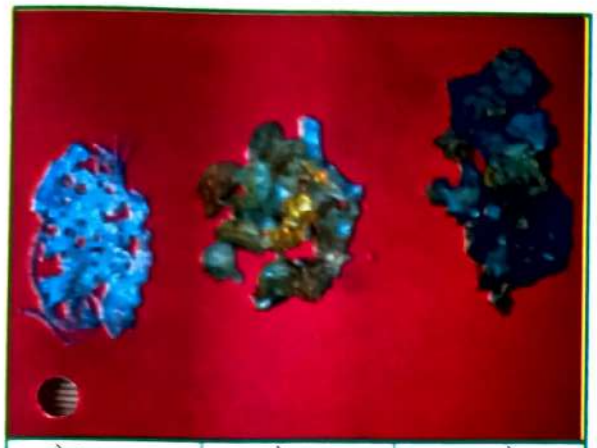

ग्रेड–1	ग्रेड–2	ग्रेड–3

भंडारण

गोंद को अच्छी तरह सुखाने और उसके श्रेणीकरण के उपरांत उसको प्लास्टिक के थैलों में रखना चाहिए। इसे जूट या कपड़े के थैलों में भरकर साफ व नमी रहित जगह में रखना चाहिये।

विपणन

गोंद का संग्रहण ग्रामीणों की आजीविका का एक अच्छा स्त्रोत है। गोंद के संग्रहण, प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन हेतु स्वसहायता समूहों के लिये ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा किये जा सकते है।

बाजार

कुल्लू गोंद का संग्रहण एवं विपणन मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के द्वारा वन समितियों के माध्यम से कराया जाता है। विगत वर्षों में कुल्लू गोंद के बाजार में हुई वृद्धि निम्नानुसार है।

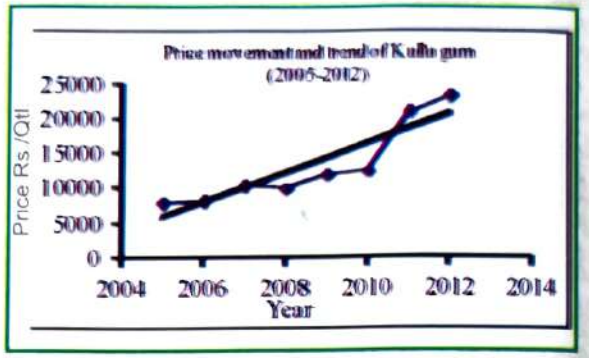

रोपणी एवं रोपण तकनीक

कुल्लू वृक्षों में पुष्पन जनवरी से अप्रैल माह के बीच होता हैं, और मई माह में फल पूर्णत: पक जाते हैं। इन बीजों को सुखाकर नर्सरी में क्यारियों में बोया जाता है,। 2–3 सप्ताह में इनमें अंकुरण हो जाता हैं। अंकुरण के 3–4 सप्ताह बाद पौधों को क्यारियों से निकालकर पॉलीथीन बैगों में लगा दिया जाता हैं। एक वर्ष बाद पौधें वृक्षारोपण के लिए तैयार हो जाते हैं।

कुल्लु प्लान्टेशन

संपर्क

डा प्रतिभा भटनागर एवं मनीष गोस्वामी

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (म.प्र.)

फोन नं 0761, 2665540, 2666529

कुल्लू

(Sterculia urens)

सामाजिक आर्थिक एवं विपणन शाखा

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (म. प्र.)